



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-388 राँची, सोमवार,

2 अगस्त, 2021 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

30 जुलाई, 2021

संख्या—03नि0—175/2012—रा0नि0आ0—663— झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 27 एवं झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका निर्वाचन, 2021 के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य के नगर पंचायतों के अध्यक्ष का आरक्षण एवं आवंटन विहित प्रपत्र-3 में निम्नलिखित रूप में अधिसूचित करता है :-

प्रपत्र-3

(नियम 9 देखिये)

आरक्षितकिए गए निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

शहरी स्थानीय निकाय-नगर पंचायत

निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष

क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या/नाम	कोटि जिसके लिए आरक्षित/अनारक्षित है	महिला के लिए आरक्षित/अन्य
1	2	3	4
1	I गढ़वा/02 मझिआंव नगर पंचायत	अनारक्षित	अन्य
2	II पलामू/04 हरिहरगंज नगर पंचायत	पिछड़ावर्ग	अन्य
3	IV चतरा/07 बचरा नगर पंचायत	अनारक्षित	महिला
4	VI कोडरमा/08 कोडरमा नगर पंचायत	अनारक्षित	अन्य
5	VII गिरिडीह/10 बड़कीसरैया नगर पंचायत	पिछड़ा वर्ग	महिला
6	VII गिरिडीह/11 धनवार नगर पंचायत	अनारक्षित	महिला
7	IX गोड्डा/12 महागामा नगर पंचायत	अनुसूचित जनजाति	अन्य

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह0/—

सचिव ।
